न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट , आर.ए.एस.

प्रार्थी:–
कीर्ति उर्फ कृति उर्फ हर्षिता जैन
पुत्री पारसमल जैन उम्र 11 वर्ष
नाबालिग संरक्षक माता सीमा जैन
पत्नी पारसमल सा. मीठड़ी तह. नावां

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. सरलादेवी पत्नी कैलाशचन्द जैन
सा. मीठड़ी तहसील नावां
2. रितु जैन पुत्री कैलाशचन्द पत्नी
बन्टी उर्फ अजीत कुमार सेठी
सा. सेठी भवन मुर्दा गली के सामने
पुरानी मील चौराहे के पास
किशनगढ जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र :– अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :– श्री महावीर प्रसाद शर्मा वकील प्रार्थी
श्री धर्मेन्द्रसिंह वकील अप्रार्थी 1, 2

मुकदमां नम्बर :– 87 / 2018 निर्णय दिनांक :– 28.06.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम मीठडी के खसरा नम्बर 494 रकबा 1.88 हैक्टयर विवादित भूमि स्थित हैं जिसमें 1/2 हिस्सा अप्रार्थी 1 के नाम दर्ज हैं जो प्रार्थी की दादी हैं। उक्त भूमि पैतृक भूमि हैं जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2 का 1/3, 1/3 हिस्सा निहित हैं। उक्त पैतृक सम्पति में प्रार्थी का जन्म से ही उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/3 हिस्सा निहित हैं। प्रार्थीया अपने पिता पारसमल की इकलौती पुत्री हैं अपने दादा स्व. कैलाशचन्द की सम्पति में अपना हक व अधिकार रखती हैं। प्रार्थीनी के पित का स्वर्गवास हो गया हैं जिसके कारण सम्पति में प्रार्थीया की दादी

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

अप्रार्थी 1 के नाम खातेदारी दर्ज हो गई हैं। प्रार्थीनी उक्त विवादित पैतृक सम्पति में 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित करवाने की अधिकारी हैं जिसके लिऐ खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में पेश कर रखा हैं। जिसके निर्णय तक प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में बाधा उत्तपन्न नहीं करे विवादित आराजीयत का किसी अन्य को हस्तान्तरण बैचान नहीं करे राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 व 2 ने जवाब पेश कर प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया हैं तथा निवेदन किया हैं कि विवादित आराजीयत प्रार्थी की पैतृक भूमि नहीं होकर अप्रार्थी स्वंय की क्रय सुदा भूमि हैं जिसमें अप्रार्थी 2 का कोई हक हिस्सा नहीं हैं अप्रार्थी 1 ने उक्त 1/2 हिस्से की भूमि पूर्व खातेदार कान्ता पत्नी श्रीपाल जैन निवासी मारोठ दिनांक 27.05.2008 को क्रय कर दस्तावेज पंजीकृत करवाया है। उक्त भूमि प्रार्थीनी की किसी भी प्रकार से पैतृक भूमि नहीं हैं अप्रार्थी 1 की खरीद सुदा भूमि हैं जिसमें प्रार्थीनी का कोई हक हिस्सा नहीं हैं अप्रार्थी 2 का भी कोई हक हिस्सा नहीं हैं, जिसको अप्रार्थी 2 ने स्वीकार किया है। प्रार्थीनी अप्रार्थी 1 को परेशान करने हेतु गलत तथ्य पेश कर यह वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं अप्रार्थीनी अपनी स्वअर्जित भूमि पर निरन्तर काश्त कर अपनी आजीविका का निवर्हन कर रही है। प्रार्थीनी जबरन अप्रार्थी 1 की भूमि हड़प करने पर आमादा हैं। अप्रार्थीनी 1 अपनी सुविधा अनुसार अपनी स्वअर्जित आराजीयत का उपयोग उपभोग करने के लिऐ कानूनी रूप से स्वतंत्र है। विधि के तीनों मूलभूत सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं हैं जिससे प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी 3 राजहित नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
मारवाड़ (नागौर)

जवाब पेश नहीं करना चाहे जाने पर जवाब बन्द किया गया बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र को आदेशित किये जाने के लिए निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना हैं। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति।

—: प्रथम दृष्टया मामला :—

इस सम्बन्ध में प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने निवेदन किया हैं कि विवादित सम्पति में अप्रार्थी 1 के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं प्रार्थीनी की दादी हैं जिससे उक्त भूमि प्रार्थीनी की पैतृक सम्पति हैं अप्रार्थी 1 नाजायज तरीके से उक्त भूमि का हस्तान्तरण व बैचान करने पर आमादा होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में बनता हैं, जबकि इसके विपरित अप्रार्थी 1 , 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया हैं कि उक्त 1/2 हिस्से की भूमि तत्काली न खातेदार कान्ता पत्नी श्रीपाल जैन से दिनांक 27.05.2008 को पंजीकृत दस्तावेज से क्रय सुदा भूमि हैं जो अप्रार्थी 1 की स्वअर्जित भूमि हैं, बैचान दस्तावेज की प्रति पेश की हैं। जिसको प्रार्थीनी ने पैतृक सम्पति बता कर केवल मात्र अप्रार्थीनी 1 को हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से पैतृक होना माना लेकिन उक्त भूमि अप्रार्थीनी 1 की स्वअर्जित भूमि हैं, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में बनाना नहीं पाया जाता है।

बहस उभयपक्षीय सुनने, पत्रावली तथा पत्रावली पर उलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत हैं कि बैचान दस्तावेज से स्पष्ट हैं कि उक्त विवादित 1/2 हिस्से की सम्पति अप्रार्थी 1 की खरीद सुदा

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

भूमि हैं तथा वर्तमान जमाबन्दी में भी उक्त भूमि अप्रार्थी 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 1 की पौत्री हैं एवं नाबालिग अवस्था में हैं, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 ने भी इन्कार नहीं किया है। यह सही हैं कि उक्त भूमि अप्रार्थी 1 की क्रय सुदा भूमि हैं लेकिन प्रार्थीनी अप्रार्थी संख्या 1 की पौत्री हैं, उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पौत्र या पौत्री का अपने दादा की भूमि में उसके जन्म से ही हक हिस्सा हैं तो फिर दादी की सम्पति में क्यों नहीं हो सकता हैं। प्रश्गत प्रकरण में अप्रार्थी 1 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं व प्रार्थीनी उसकी पौत्री होना साबित होता हैं, जिसने उक्त सम्पति में अपने हकूको के लिए खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में पेश हो रखा हैं जिसमें साक्ष्य सबूतो के आधार पर यह तय होना हैं किसी किस प्रकार विवादित भूमि प्रार्थीनी की पैतृक सम्पति नहीं हैं एवं उक्त विवादित आराजीयत में प्रार्थीनी का हक हिस्सा निहित हैं अथवा नहीं वर्तमान में तो स्पष्ट हैं कि प्रार्थीनी अप्रार्थीनी 1 की पौत्री हैं जो स्वंय नाबालिग हैं जो अपने हितो की रक्षा करने में स्वंय असमर्थ हैं, और विवादित सम्पति उसकी पैतृक हैं जिसका दौराने दावा प्रार्थीनी के हक हिस्से तक किसी अन्य व्यक्ति को बेचान नहीं हो। अतः प्रार्थीनी के पैतृक हक हिस्से की हद बैचान नहीं करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति तक प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में पाया जाता है।

—: सुविध का सन्तुलन :—

जहां तक सुविधा का सन्तुलन का प्रश्न हैं जैसा की पूर्व में वर्णित किया जा चुका हैं कि प्रार्थी के पैतृक हक हिस्से की हद तक बैचान नहीं करने व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तक प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी 1 यदि विवादित सम्पूर्ण सम्पति को बेचान, बख्शीश आदि कर दें और मूल वाद में

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

यह पाया जाता हैं कि प्रार्थीनी का विवादित सम्पति में हिस्सा हैं, तो प्रार्थीनी को असुविधा होगी। जिससे सुविधा के सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थीनी के पक्ष में पाया जाता है।

—: अपूर्णीय क्षति :—

पूर्व में यह वर्णित हो चुका हैं कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के पक्ष में बनाता हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थी 1 सम्पूर्ण भूमि का बैचान , हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता हैं तो प्रार्थीनी जो एक नाबालिग पौत्री हैं जिसके द्वारा किऐ गऐ वाद व अन्य वादों की बहुलता बढ़ जायेगी जिसकी पूर्ति नाबालिग बच्चे से सम्भव नहीं होगी। बल्कि विवाद ओर बढ़ जायेगा एवं अपूर्णीय क्षति भी बढ़ जायेगी। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है।

चूकि प्रार्थीनी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दू अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही हैं लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अप्रार्थीगण 1 व 3 के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि दावा निर्णय तक प्रार्थीनी के पैतृक हक हिस्से की हद तक दिनांक 11.10.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पुख्ता किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)